मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 18, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 65 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 72 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, माननीय लोक सभा सदस्य का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत सम्बन्धी उल्लेख किया गया।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में नर्मदा पाईप लाईन के ऊपर अवैध निर्माण होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अटेर की सड़कें खराब होने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में सड़क निर्माण पूर्ण किये जाने,

(4) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण न होने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा खाचरौद नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों का शोषण होने,

(6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की प्रदेश में छात्रों के बेरोजगार होने के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ होने,

(7) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने,

(8) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर जिले के श्मशान में जलाऊ लकड़ी की सप्लाई न होने,

(9) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद जिले में वाणिज्यक कर विभाग के नियम का पालन न किये जाने तथा

(10) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले की इन्दिरा आवास कालोनी में विद्युत व्यवस्था न होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –

(1) मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013),

(2) मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) तथा

(3) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पटल पर रखे।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2008-09 पटल पर रखे।

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2011-12 पटल पर रखे।

(3) श्री अजय विश्नोई, पशु पालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने उनके विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखीं –

(i) अधिसूचना क्रमांक 765/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 5 मार्च, 2013,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1288/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 3 मई, 2013 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक 1671/म.प्र.वि.नि.आ./2013 का शुद्धि पत्र दिनांक 14 जून, 2013,

(7) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

6. फरवरी-मार्च, 2013 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा फरवरी-मार्च, 2013 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की गई।

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा शासन से प्राप्त उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की गई।

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2013
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2013
3.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2013
4.	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2013
5.	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2013
6.	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2013
7.	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2013
8.	मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2013
9.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2013
10.	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2013
11.	मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2013

9. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013)	1 घंटा
4.	मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013)	30 मिनट
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013)	30 मिनट
6.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013)	30 मिनट
7.	दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013)	30 मिनट
8.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013)	30 मिनट
9.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013)	30 मिनट
10.	मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013)	30 मिनट
11.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013)	30 मिनट
12.	मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013)	30 मिनट

समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार -

(1) दिनांक 9 जुलाई, 2013 को वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन तथा

(2) दिनांक 10 जुलाई, 2013 को वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण होगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा अपना एवं अपनी पत्नी की सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

11. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री श्रीकांत दुबे, सदस्यगण ने पन्ना जिले की भीतरी-मटपुरी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध क्षतिग्रस्त होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य ने मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र की दूरस्थ बसाहटों में हैण्डपंप खनन किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री मोतीलाल तिवारी (जिला-सतना)

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)

(3) श्रीमती नीता पटेरिया (जिला-सिवनी)

(4) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (जिला-नीमच)

14. वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।
अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2013 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

15. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव करने की अनुमति चाही गई कि-

"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने के पक्ष में खड़े हुए माननीय सदस्यों की गणना के पश्चात्)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और गुरूवार, दिनांक 11 जुलाई, 2013 को ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होगी।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(6) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(8) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री की अनुपस्थितिवश मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) बाद में लिया जाएगा।

17. अध्यक्षीय घोषणा
समूह छाया चित्र कार्यक्रम विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि त्रयोदश विधानसभा के कार्यकाल के समापन सत्र में स्मृति स्वरूप कल बुधवार दिनांक 10 जुलाई, 2013 को प्रात: 10 बजे सभी माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र (ग्रुप फोटो) प्रवेश द्वार क्रमांक 2 के समक्ष विधानसभा प्रांगण में आयोजित किया गया है. अतः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व उपस्थित होने का कष्ट करें।

मध्याह्न 12.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 19, 1935) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 8 जुलाई, 2013